

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] No. 440] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 2014/फाल्गुन 5, 193**5**

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 2014/PHALGUNA 5, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

का.आ. 520(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 09 सितम्बर, 2013 की का.आ. सं. 2710(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपित्तयां/सुझाव प्राप्त नहीं किए, और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदन भी प्रदान किया गया था।
- 3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। संशोधन:

शहजादा बाग में 3744 वर्ग मीटर निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग औद्योगिक/विनिर्माणी से पीएसपी (कब्रिस्तान) निम्न विवरणान्सार परिवर्तित किया जाता है ।

773 GI/2014 (1)

क्र.सं.	स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग	प्रस्तावित	सीमाएं	
			दि.मु.यो.	भू-उपयोग		
			2021			
1.	जोन बी में	3744 वर्ग	औद्योगिक/	सार्वजनिक	उत्तरः 18.0 मीटर प्रस्तावित सड़क	
	शहजादा बाग	मीटर	विनिर्माणी	एवं अर्द	दक्षिण: अस्थायी सरंचना के प्लॉट नं.	
		(लगभग)	उपयोग	सार्वजनिक	493 के साथ लगी हुई चारदिवारी	
				(कब्रिस्तान)	पूर्व: 30.0 मीटर सड़क	
				उपयोग	पश्चिम: 18.0 मीटर प्रस्तावित सडक	

[सं. के-13011/23/2013-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Delhi Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2014

- **S.O. 520(E).** Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* S.O. No. 2710(E) dated 9th September, 2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas no objections/suggestions was received in this regard to the proposed modifications and proposal was also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.
- 3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

Change of land use of land measuring 3744 Square metre from 'Industrial/Manufacturing' to 'PSP (Graveyard)' at Shahzada Bagh as per following description:

S.	Location	Area	Land use MPD-2021	Proposed Land use	Boundaries
NoΨ					
1.	Shahzada	3744 sq. mt.	Industrial/Manufacturing	Public & Semi-	North – 18 meter proposed
	Bagh in	(approx)	Use	Public (Graveyard)	Road
	Zone-'B'			Use	South – Boundary wall
					abutting plot
					No. 493 of
					Temporary
					structure
					East– 30 meter Road
					West –18 meter
					proposed road

[No. K-13011/23/2013-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.